



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 26, 2014/फाल्गुन 7, 1935

No. 86]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 26, 2014/PHALGUNA 7, 1935

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2014

सा.का.नि.119(अ).—केन्द्रीय सरकार, गर्भधारण-पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (1994 का 57) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गर्भधारण-पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) नियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गर्भधारण-पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. गर्भधारण-पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) नियम, 1996 में नियम 18 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

18क. समुचित प्राधिकारियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली आचार संहिता-(1) अधिनियम के अधीन अधिसूचित राज्य, जिला और उप-जिला सहित सभी समुचित प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित साधारण आचार संहिता का पालन करेंगे, अर्थात्:—

- (i) सभी समय गरिमा और सत्यनिष्ठा बनाए रखेंगे;
- (ii) अधिनियम और नियमों के उपबंधों का पालन और कार्यान्वयन कार्य के प्रक्रम को संतुलित और मानकीकृत रीति में करेंगे;
- (iii) अपने कार्य को न्यायसंगत रीति में बिना किसी पक्षपात या दोष की बोधगम्य उपधारणा से करेंगे;

- (iv) ऐसी टिप्पणियां करने से बचेंगे जो लिंग, जाति, धर्म के आधार पर व्यक्तियों को अप्रतिष्ठित करती हैं;
- (v) अपनी अनुपस्थिति में प्रशासनिक आदेश द्वारा अपनी शक्तियों को किसी प्राधिकृत अधिकारी को प्रदत्त करेंगे और प्राधिकृत करने के आदेश को अनुवर्ती कार्रवाई के लिए दस्तावेजी सबूत के रूप में परिरक्षित करेंगे।

(2) अधिनियम के अधीन अधिसूचित राज्य, जिला और उप-जिला सहित सभी समुचित प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ साथ, सलाहकार समितियों के लिए निम्नलिखित संहिता का पालन करेंगे, अर्थात्:—

- (i) इस बात का सुनिश्चय करेंगे कि सलाहकार समिति के पुनर्गठन, कार्यों और अन्य सुसंगत विषय सलाहकार समिति नियम, 1996 के उपबंधों के अनुसार होंगे;
- (ii) यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई व्यक्ति जो गर्भधारण-पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (1994 का 57) के अधीन मामलों के लिए अन्वेषण तंत्र का भाग है, को सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत या नियुक्त नहीं किया जाएगा;
- (iii) यह सुनिश्चित करेंगे कि सलाहकार समिति में रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया रिक्त कारित होने की संभावित तारीख से कम से कम नब्बे दिन पूर्व आरंभ हो जाएगी;
- (iv) यह सुनिश्चित करेंगे कि सलाहकार समिति में कोई व्यक्ति सदस्य या विधिक विशेषज्ञ के रूप में भाग नहीं लेगा यदि उसका कोई हित का द्वन्द्व है;
- (v) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, रद्दकरण और निलंबन के संबंध में विनिश्चयों का तेजी से निपटारा करने के लिए सलाहकार समिति की प्रायः बैठकें करेंगे।

(3) अधिनियम के अधीन अधिसूचित राज्य, जिला और उप-जिला सहित सभी समुचित प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ साथ, शिकायत और अन्वेषण करने के लिए निम्नलिखित साधारण आचरण का पालन करेंगे, अर्थात्:—

- (i) अधिनियम के अधीन प्रत्येक शिकायत या परिवाद के रजिस्ट्रीकरण के समर्थन में समुचित डायरियां रखेंगे;
- (ii) सभी शिकायतों को देखेंगे और शिकायतों की अनुवर्ती कार्रवाई में पारदर्शिता रखेंगे;
- (iii) शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर सभी शिकायतों का अन्वेषण करेंगे और ऐसी शिकायत प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर अन्वेषण पूरा करेंगे;
- (iv) जहां तक व्यवहार्य हो, अधिनियम के अधीन मामलों के अन्वेषण के लिए पुलिस को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि अधिनियम के अधीन मामलों का विचारण, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन शिकायत मामलों के रूप में किया जाता है।

(4) अधिनियम के अधीन अधिसूचित राज्य, जिला और उप-जिला सहित सभी समुचित प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ-साथ, आवेदनों के रजिस्ट्रीकरण और नवीकरण के लिए निम्नलिखित आचरण का पालन करेंगे, अर्थात्:—

- (i) नवीकरण और नए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 70 दिन की अवधि के भीतर निपटान करेंगे;
- (ii) यह सुनिश्चित करेंगे कि रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण के लिए किसी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाए यदि आवेदक के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई मामला लंबित है।

(5) अधिनियम के अधीन अधिसूचित राज्य, जिला और उप-जिला सहित सभी समुचित प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ-साथ, विधिक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित आचरण का पालन करेंगे, अर्थात्:—

- (i) यह सुनिश्चित करेंगे कि साक्षियों के संरक्षण और व्यय संग्रहित रजिस्ट्रीकरण रकम में से चुकाए जाएंगे;
- (ii) यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकार की सभी अधिसूचनाओं को न्यायालय में मूल रूप में प्रस्तुत किया जाए और उनकी एक प्रति को परिरक्षित किया जाएगा;

- (iii) यह सुनिश्चित करेंगे कि मामले फाइल करते समय मामले के सभी कागज पत्र, अभिलेख, विवरणियां, साक्ष्य पंचनामा और मामले की फाइल से उपाबद्ध अन्य तात्विक वस्तुएं मूल रूप में हों;
- (iv) प्रसुविधा के अभिग्रहण और सील करने में विधिक कार्रवाई के प्रक्रम में रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया जाए;
- (v) यह सुनिश्चित करेंगे कि गर्भधारण-पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) नियम, 1996 के उपबंधों को कार्यान्वित करते समय, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 (1971 का 34) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का कोई उल्लंघन न हो;
- (vi) दोषमुक्ति के किसी आदेश की दशा में दोषमुक्ति से तीस दिन के भीतर किंतु दोषमुक्ति के आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिन से पूर्व उच्चतर न्यायालयों में अपील फाइल करने के लिए, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों के लिए तुरंत कार्रवाई करेंगे।

(6) अधिनियम के अधीन अधिसूचित राज्य, जिला और उप-जिला सहित सभी समुचित प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ साथ, राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और किए गए सभी रजिस्ट्रेशनों की सूचना को तुरंत रूप से उपलब्ध कराने के लिए प्ररूप ज में रखेंगे।

(7) अधिनियम के अधीन अधिसूचित राज्य, जिला और उप-जिला सहित सभी समुचित प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ- साथ, अल्ट्रासाउंड उपस्करों के निम्नलिखित विनियम का पालन करेंगे, अर्थात्:—

- (i) अल्ट्रासाउंड मशीनों के विक्रय और आयात जिसके अंतर्गत पोर्टेबल या वापस-क्रय, असेम्बलड, उपहार की गई, स्क्रेप या डेमो भी शामिल है, की निगरानी करना;
- (ii) अल्ट्रासाउंड विनिर्माताओं, डीलरों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं तथा अल्ट्रासाउंड मशीनों के विक्रय से संबंधित किसी व्यक्ति से राज्य स्तर पर नियमित त्रैमासिक रिपोर्टों का सुनिश्चय;
- (iii) अरजिस्ट्रीकृत मशीनों की पहचान करने के लिए राज्य या जिले में विक्रय की गई और प्रचालन कर रही सभी अल्ट्रासाउंड मशीनों का आवधिक सर्वेक्षण और परीक्षण संचालित करना;
- (iv) अरजिस्ट्रीकृत अल्ट्रासाउंड मशीन के स्वामी और अरजिस्ट्रीकृत अल्ट्रासाउंड मशीन के विक्रेता के विरुद्ध शिकायत फाइल करना;

(8) अधिनियम के अधीन अधिसूचित राज्य, जिला और उप-जिला सहित सभी समुचित प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ साथ, निरीक्षण और निगरानी के लिए निम्नलिखित आचरण का पालन करेंगे, अर्थात्:—

- (i) सभी रजिस्ट्रीकृत प्रसुविधाओं का प्रत्येक नब्बे दिन में एक बार नियमित निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति का दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में परिरक्षण करेंगे और निरीक्षण की एक प्रति निरीक्षण की गई प्रसुविधा के स्वामी को सौंपेंगे तथा निरीक्षण के संबंध में अभिस्वीकृति अभिप्राप्त करेंगे;
- (ii) तीन मास में एक बार सभी निरीक्षण रिपोर्टों को अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सलाहकार समिति के समक्ष रखेंगे;
- (iii) फाइल किए गए मामलों की संख्या और सिद्धदोष ठहराए गए व्यक्तियों, किए गए रजिस्ट्रीकरण, निलंबित या रद्द किए गए रजिस्ट्रीकरण, रद्द या निलंबित की गई चिकित्सा अनुज्ञप्तियां, किए गए निरीक्षण, जिला स्तर पर आयोजित की गई सलाहकार समिति की बैठकों की द्विमासिक प्रगति रिपोर्ट रखेंगे और राज्य स्तर पर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट रखेंगे;
- (iv) (क) 7 दिन के अंदर विरचित आरोपों की प्रति प्राप्त करेंगे तथा चिकित्सकों की दशा में विरचित आरोपों के ब्यौरों को विरचित आरोपों की प्रति की प्राप्ति के 7 दिन के भीतर राज्य चिकित्सा परिषद् को प्रस्तुत करेंगे;
- (ख) यथा संभव शीघ्र सिद्धदोष ठहराए जाने के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करेंगे और चिकित्सकों को सिद्धदोष ठहराए जाने की दशा में सिद्धदोष ठहराए जाने के आदेश की प्रमाणित प्रति, सिद्धदोष ठहराए जाने के आदेश की प्रति की प्राप्ति के 7 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

(9) अधिनियम के अधीन अधिसूचित राज्य, जिला और उप-जिला सहित सभी समुचित प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ साथ, जवाबदेही के लिए निम्नलिखित आचरण का पालन करेंगे, अर्थात्:-

- (i) अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन से संबंधित किसी संकल्प के लिए भारत सरकार की पूर्व अनुमति या अनुमोदन प्राप्त करेंगे;
- (ii) अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर यदि कोई अपेक्षित हो तो, तुरंत कार्रवाई करेंगे और यदि ऐसा करने में वह असमर्थ रहता है या रहती है तो वह उक्त अधिनियम की धारा 31 के अधीन संरक्षण का हकदार नहीं होगा और वह अपनी स्वयं की क्षमता एवं लागत पर मामले का बचाव करेगा।

(10) अधिनियम के अधीन अधिसूचित राज्य, जिला और उप-जिला सहित सभी समुचित प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित वित्तीय मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करेंगे, अर्थात्:—

- (i) सभी स्तरों पर संयुक्त रूप से दो अधिकारियों द्वारा परिचालित पृथक् और स्वतंत्र बैंक खाता रखेंगे;
- (ii) धन के संवितरण के लिए पारदर्शिता को सुनिश्चय करेंगे और मानक सरकारी वित्तीय संनियमों का पालन करेंगे।

[फा.सं. वी.11011/8/2013-पीएनडीटी]

डा. राकेश कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 1(अ), तारीख 1 जनवरी, 1996 को प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 109(अ) तारीख 14 फरवरी, 2013; सा.का.नि. 426(अ) तारीख 31 मई, 2011; सा.का.नि. 80(अ) तारीख 7 फरवरी, 2012, सा.का.नि. 418(अ) तारीख 4 जून, 2012, सा.का.नि. 13(अ) तारीख 9 जनवरी, 2014 और सा.का.नि. 77(अ) तारीख 31 जनवरी, 2014 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2014

G.S.R. 119(E).—In exercise of the powers conferred by section 32 of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (57 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Rules, 1996, namely :—

- (1) These rules may be called the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Amendment Rules, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

1. In the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Rules, 1996, after rule 18, the following rule shall be inserted, namely:—

18-A Code of Conduct to be observed by Appropriate Authorities.— (1) **All the Appropriate Authorities including the State, District and Sub-district notified under the Act, inter-alia, shall observe the following general code of conduct, namely:-**

- (i) maintain dignity, and integrity at all times;
- (ii) observe and implement the provisions of the Act and Rules in a balanced and standardised manner in the course of their work;
- (iii) conduct their work in a just manner without any bias or a perceived presumption of guilt;

- (iv) refrain from making any comments which demean individuals on the basis of gender, race, religion ;
- (v) delegate his or her powers by administrative order to any authorised officer in his or her absence and preserve the order of authorisation as documentary proof for further action.

(2) All the Appropriate Authorities including the State, District and Sub-district notified under the Act, inter-alia, shall observe the following Conduct for Advisory Committees, namely:—

- (i) ensure that the re-constitution, functions and other relevant matters related to advisory committee shall be in accordance with the provisions of the **Advisory Committee Rules, 1996**;
- (ii) ensure that a person who is the part of investigating machinery in cases under the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (57 of 1994), shall not be nominated or appointed as a member of the Advisory Committee ;
- (iii) ensure that the process of filling up of vacancies in Advisory Committee shall start at least ninety days before the probable date of the occurrence of vacancy;
- (iv) ensure that no person shall participate as a member or a legal expert of the Advisory Committee if he or she has conflict of interest;
- (v) conduct frequent meetings of the Advisory Committee to expedite the decisions regarding renewal, cancellation and suspension of registration.

(3) All the Appropriate Authorities including the State, District and Sub-district notified under the Act, inter-alia, shall observe the following conduct for processing of complaint and investigation, namely:—

- (i) maintain appropriate diaries in support of registration of each of the complaint or case under the Act ;
- (ii) attend to all complaints and maintain transparency in the follow-up action of the complaints;
- (iii) investigate all the complaints within twenty four hours of receipt of the complaint and complete the investigation within forty-eight hours of receipt of such complaint;
- (iv) as far as possible, not involve police for investigating cases under the Act as the cases under the Act are tried as complaint cases under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

(4) All the Appropriate Authorities including the State, District and Sub-district notified under the Act, inter-alia, shall observe the following conduct for registration and renewal of applications under the Act, namely:—

- (i) dispose of the application for renewal and new registration within a period of seventy days from the date of receipt of application;
- (ii) ensure that no application for fresh registration or renewal is accepted if any case is pending in any court against the applicant.

(5) All the Appropriate Authorities including the State, District and Sub-district notified under the Act, inter-alia, shall observe the following conduct for Legal Action, namely:—

- (i) ensure that protection and expenses of witness shall be met from the registration amount collected ;
- (ii) ensure that all the notifications of the Government be produced in original in the court and a copy of the same be preserved ;
- (iii) ensure that while filing the cases, all the papers, records, statements, evidence, panchnama and other material objects attached to the case file shall be in original;
- (iv) suspend the certificate of registration in the course of taking legal action of seizure and sealing of the facility;
- (v) ensure that there shall be no violation of the provisions of the Medical Termination Pregnancy Act, 1971 (34 of 1971) and the Rules made there-under while implementing the provisions of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Rules, 1996;
- (vi) take immediate action for filing appeal, revision or other proceeding in higher courts in case of order of acquittal within a period of thirty days but not later than fifteen days of receipt of the order of acquittal.

(6) All the Appropriate Authorities including the State, District and Sub-district notified under the Act, inter-alia, shall submit quarterly progress report to the Government of India through State Government and maintain Form H for keeping the information of all the registrations made readily available.

(7) All the Appropriate Authorities including the State, District and Sub-district notified under the Act, inter-alia, shall observe the following regulation of ultrasound equipments, namely:—

- (i) monitor the sales and import of ultrasound machines including portable or buyback, assembled, gift, scrap or demo;
- (ii) ensue regular quarterly reports from ultrasound manufacturers, dealers, wholesalers and retailers and any person dealing with the sales of ultrasound machines at the State level;

- (iii) conduct periodical survey and audit of all the ultrasound machines sold and operating in the State or district to identify the unregistered machines;
- (iv) file complaint against any owner of the unregistered ultrasound machine and against the seller of the unregistered ultrasound machine.

(8) All the Appropriate Authorities including the State, District and Sub-district notified under the Act, inter-alia, shall observe the following conduct for inspection and monitoring, namely:—

- (i) conduct regular inspection of all the registered facilities once in every ninety days and shall preserve the inspection report as documentary evidence and a copy of the same be handed over to the owner of facility inspected and obtain acknowledgement in respect of the inspection;
- (ii) place all the inspection reports once in three months before the Advisory Committee for follow up action;
- (iii) maintain bimonthly progress report containing number of cases filed and persons convicted, registration made, suspended or cancelled, medical licenses cancelled, suspended, inspections conducted, Advisory Committee meetings held at the district level and quarterly progress report at the State level;
- (iv) (a) procure the copy of the charges framed within seven days and in the case of doctors, the details of the charges framed shall be submitted within seven days of the receipt of copy of charges framed to the State Medical Council;
(b) procure the certified copy of the order of conviction as soon as possible and in the case of conviction of the doctors, the certified copy of the order of conviction shall be submitted within seven days of the receipt of copy of the order of conviction.

(9) All the Appropriate Authorities including the State, District and Sub-district notified under the Act, inter-alia, shall observe the following conduct for accountability, namely:—

- (i) obtain prior sanction or approval of the Government of India for any resolution concerning the implementation of the provisions of the Act ;
- (ii) take action, if any, required under the Act and immediately on receipt of notice under clause (b) of sub-section (1) of section 28 of the Act and if he or she fails to do so, shall not be entitled for the protection under section 31 of the said Act and defend the case in his or her own capacity and at his or her own cost.

(10) All the Appropriate Authorities including the State, District and Sub-district notified under the Act, inter-alia, shall follow the following financial guidance, namely:—

- (i) maintain a separate and independent bank account operated by two officers jointly, at all levels ;
- (ii) ensure transparency and adherence to standard Government financial norms for disbursement of money.

[F. No. V. 11011/8/2013-PNDT]
Dr. RAKESH KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide G.S.R 1(E), dated the 1st January, 1996 and amended, by notification No. G.S.R. 109(E), dated the 14th February, 2003; G.S.R. 426(E), dated the 31st May, 2011; G.S.R. 80(E), dated the 7th February, 2012; G.S.R. 418(E), dated the 4th June, 2012; G.S.R. 13(E), dated the 9th January, 2014 and G.S.R. 77(E) dated 31st January, 2014.